

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-11वीं दिसम्बर 2022

सेवा में,

**MEDHAVI LOHIA,**  
WORK SHOP,  
BASUDEB AUTO LTD.HAZARIBAGH INDUSTRIAL AREA,  
HAZARIBAGH,JHARKHAND BASUDEB AUTO LTD.,  
JULU PARK,NEAR SBI HAZARIBAGH.

**विषय:- मौजा-CHANO, प्लॉट नं0-30,31,32,33,34,35(P), खाता नं0-N/A, वार्ड नं0-00, थाना-N/A, जिला-हजारीबाग में प्रस्तावित Workshope भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित Workshope भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, हजारीबाग के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-459 दिनांक-09.12.2022 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित Workshope परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउंड टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन में अग्निशमन कार्य हेतु एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रत्येक 30-30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय। प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं दो-दो अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
4. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 1620 ली0/मि0 क्षमता वाले एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
5. भवन के ऑफिसर को Smoke Detection System से सुरक्षित किया जाय।
6. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
7. इन सभी पम्प को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
8. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
9. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 09 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
10. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
11. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
12. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 4.5 के0जी0 क्षमता के 06-06 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 08-08 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
13. भवन में Manually Operated Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भण्डारण परिसर में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
14. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

15. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
16. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
17. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि **Plan** अथवा **Nature Of Occupancy** में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके **Clearance** अवश्य प्राप्त करेंगे।
18. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.9 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**JAGJEEWAN  
RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME  
JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,  
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6b  
f90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002,  
st=Jharkhand,  
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8  
a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2022.12.14 10:50:19 +05'30'

(जगजीवन राम),

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।



## JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004  
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref No.: JSPCB/HO/RNC/CTE-15964496/2023/339

Dated : 2023-05-29

### Consent to Establish (CTE) under section 25 /26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

1. Reference: Application (s) No.- 15964496 / dated : 17/05/2023 of BASUDEB AUTO LIMITED, ARVIND LOHIA for consent under section 25 /26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

#### 2. Documents Relied Upon:

(a) The content of Check-list submitted by the Regional Officer, Regional Office cum Laboratory, Hazaribagh dated 24.12.2022.

(b) The content of Land Allotment letter From-JIADA.

(c) The content of Project Report with CA certified project cost.

(d) The content of letter of PP informing that land registration is under process and the copy of deed will be submitted at the time of CTO

3. The consent is granted under section 25 / 26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 to establish the project in Mauza- CHANO, P S -MUFFASIL, District-HAZARIBAGH as follows:

Project	Site-Area		Investment (Rs)/ Year	Product & Capacity	Period of CTE
	Plot Nos.	Area			
Before Expansion	30, 31, 32, 33, 34, 35(p) Khata No-Chanho Industrial Area	01 Acre	202.76 Lacs	Servicing of Car-15 No/Day	Date of issue to Six Month

#### (A) Specific Conditions:

1. That, the occupier shall keep the effluent in close circuit but shall not use it for recharging ground water aquifer.

2. That, the occupier shall construct, operate and maintain Effluent Treatment Plant before commissioning of the plant.
3. That, the occupier shall do regular maintenance of the D.G. Set and the good quality of silencer shall be used for control of noise pollution within prescribed standard.
4. That, the occupier shall do regular cleaning and wetting of the ground within the premises.
5. That, the proponent shall do their activity under full proof cover(s).
6. That, the occupier shall submit photographs to establish the compliance of the aforesaid conditions at the time of submission of CTO application.
7. That, the occupier shall ensure following as per norms:
  - (a) For service stations, bus depots and workshops with metal pre treatment facilities of 5 mg/l dissolved phosphates(as P) and 5 mg/l of zinc shall also apply.
  - (b) That, the Solid Wastes/Hazardous Waste, if any, shall be disposed off as per the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Hazardous and Other Waste (Management and Trans Boundary Movement) Rules'2016.
8. That, the occupier shall maintain the noise pollution as per the norms and submit its report on regular interval.
9. That, the occupier shall not discharge any effluent outside the premises in any case.
10. That, the occupier shall obtain authorization under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
11. That, the occupier shall construct metalled internal roads within the premises.
12. That, this CTE is valid subject to grant of other required clearances/NOC for establishing this type of unit from concerned organizations as and where applicable/required and occupier will be sole responsible for the same.

**(B) General Conditions :**

- (1) That, the occupier shall construct pucca (i) minimum ten feet high boundary wall and (ii) approach road and internal roads and shall keep the premises neat and clean and tidy.

(2) That, the occupier shall install comprehensive enclosure (s) to cover the places of unloading of raw materials, the equipments of their processing & transferring, the places of loading of products, by products and wastes for prevention of fugitive emission and shall install such automatic inbuilt system(s) that in house dust/ gases collect(s) and undergo (es) cleaning and clean air goes out.

(3) That, the occupier shall install such automatic inbuilt system(s) that process flue gas(es) / process gas(es) and undergo(es) cleaning and clean air go(es) out through the chimney(s), having height(s) as per Central Pollution Control Board norm.

(4) That, the occupier shall have D G Set(s) of the standard as laid in the Environment (protection) Rules, 1986 and shall install it (them) within acoustic enclosure (s) and shall keep the height(s) of exhaust pipe(s) as per Central Pollution Control Board norm .

(5) That, the occupier shall impart treatment as per Central Pollution Control Board text to wastewater and shall keep process effluent in close-circuit and effluent from other sources in conformity with the standard (s).

(6) That, the occupier shall install Central Ground Water Board/ State Ground Water Directorate approved system of rain water harvesting-cum-ground water recharge.

(7) That, the occupier shall create new water body (ies) / remove deposit(s) of existing water body(ies) and nearby stream(s) and pond(s) and shall maintain the wholesomeness of water.

(8) That, the occupier shall grow greenery in the periphery and other available spaces and shall continue enhancing its plant density and biodiversity.

(9) That, this CTE is valid subjected to the validity of mining Lease / Mining Plan / Ecofriendly / Environmental Clearance, if applicable. In case of no renewal of Mining Lease/Mining Plan, this consent shall be treated as revoked automatically.

(10) That, this CTE is issued from the environmental angle only and does not absolve the occupier from other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility to comply with these conditions laid down in all other laws for the time being in force, rests with the industry/ unit/ occupier.

(11) That, this CTE shall not in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceeding , if any, instituted in the past or that could be , instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made there under.

(12) That, the occupier shall comply with all applicable provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974; the Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977; the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981; and the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules there under.

4. **That, this CTE shall not absolve the occupier from making compliance of other statutory prescribed under any law or direction of courts or any other instrument for the time being in force.**
5. **That, this CTE is being issued on the basis of information/ documents/ certificate submitted by the unit. This CTE will be revoked if any of the information/ documents/ certificates/ undertaking given by the occupier is found false/fictitious/forged in future.**
6. **This order shall be valid subject to compliance of all other legal requirements applicable to the unit.**

7. **The State Board reserves the right to revoke, withdraw or make any reasonable variation / change / alteration in condition of this consent.**

**This is issued with the approval of the competent authority**

Ram Pravesh Kumar

Digitally signed by Ram Pravesh Kumar  
Date: 2023.05.29  
08:12:51 +05'30'

**[Ram Pravesh Kumar]**  
**Section Head, Hazaribagh**

Memo No. : JSPCB/HO/RNC/CTE-  
15964496/2023/339

Dated : 2023-05-29

**Copy to :** M/S BASUDEB AUTO LIMITED, At CHANO INDUSTRIAL AREA,HAZARIBAGH  
Chief Inspector of Factories, Ranchi/ Director of Industry, Government of Jharkhand, Ranchi/Director of  
Mines, Government of Jharkhand, Ranchi/ Deputy Commissioner, HAZARIBAGH/ DFO,HAZARIBAGH/  
DMO,HAZARIBAGH/ RO,JSPCB, Hazaribagh for information & necessary action.

Ram Pravesh Kumar

Digitally signed by  
Ram Pravesh Kumar  
Date: 2023.05.29  
08:13:08 +05'30'

**[Ram Pravesh Kumar]**  
**Section Head, Hazaribagh**



Application No:14806574

Application Fee : 50/-

**JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD  
RANCHI - 834004**

(TO BE SUBMITTED IN DUPLICATE)

INFORMATION FOR OBTAINING NOC U/S 25 & 26 OF THE WATER  
(PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION)ACT, 1974 & U/S 21 OF THE AIR  
(PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION)ACT, 1981

**1. GENERAL**

- (i) Name of Industry : BASUDEB AUTO LIMITED
- (ii) Name & Address(with pin code)  
of applicant with Telephone No. : ARVIND LOHIA, KATARUKA NIWASLAKE  
AVENUE, KANKE ROAD, RANCHI, JHARKHAND-  
834008, 825301, 9204065928-9204065928
- (iii) Location of Project(attach location map)
- Place : MUFFASIL
- P.O. : CHANO
- District : HAZARIBAGH
- (Information is also required if industry is located  
outside the Industrial Area)
- Mauza : CHANO
- Khata No. : 0
- Khesra No. : 30,31,32,33,34 & 35P
- (iv) At what distance(in meter)following are located from Battery limit of the plant.

Surrounding of Site	Distance(in meter)
---------------------	--------------------

- (v) Present land use : Industrial
- (vi) Topography : Plane
- (vii) Prevalent wind directions :
- (viii) Yearly average rainfall :

**2. BREAKUP OF PROPOSED LAND USE AT THE SITE**

- (i) Area for plant : sq/m
- (ii) Area for Infrastructure : sq/m
- (iii) Area for Effluent Treatment : sq/m
- (iv) Proposed width of plantation all around the plot in  
meter. : East :  
West :  
North :  
South :
- (v) Whether propose to build captive colony : Yes
- (vi) Distance of the captive :
- (vii) Number of dwellers :

### 3. RAW MATERIALS

(i). List of Raw Materials

Raw Materials	Quantity	Unit
---------------	----------	------

(ii). List of Processing Chemicals

Processing Chemicals	Quantity	Unit
----------------------	----------	------

### 4. SOLID WASTES

Types	Composition	Quantity(MT/d)
-------	-------------	----------------

(iii) Enclose a write-up on Solid Wastes Management.

### 5. PROCESS AND PRODUCTION

(i) Enclose a copy the Project Report With flow sheet

(ii)

Product Name	Daily Capacity(MT/Month)	By-Product Name & Capacity(MT/Month)
--------------	--------------------------	--------------------------------------

(iii) State briefly the technology :

### 6. WATER REQUIREMENT

Source Type	Water Requirement(KL/d)
-------------	-------------------------

### 7. WASTE WATER

(i). Quantity of Waste Water.

Source Consumption	Quantity(KL/d)
--------------------	----------------

(ii). Trade Effluent quantity

Before Treatment(KL/d)	After Treatment(KL/d)	Final discharge to	Quantity of treated effluent to be recycled(KL/d)
------------------------	-----------------------	--------------------	---

(iii). Enclose a short write up on sludge management.



## 8. ATMOSPHERIC EMISSIONS

(i) Stack Details

Stack Attached To	Height(meter)	Construction Material	Unit
-------------------	---------------	-----------------------	------

## 9. ENERGY

(i) Source of Energy : D.G. Sets with capacity 50KB (Boilers/Furnaces/Capacitive Power Plant/Public Supply)

(ii) Fuel Consumption

Fuel	Consumption(MT/d)
------	-------------------

## 10. OTHER POLLUTION

(i) Noise pollution details

Sound Level(db/a)	Abatement measures	Source Type	Name	Abatement Measures
-------------------	--------------------	-------------	------	--------------------

## 11. PROJECT COST IN LACS

Cost of	(a) Land Rs :	1	(b) Building Rs	69.75
	(c) Machinery Rs :	66.5	(d) Infrastructure Rs :	0
	(e) Pollution Control Rs :	0	(f) Total of Project Rs :	137.25

## 12. N.O.C. FEE

Amount Rs :	Bank Draft No :	Date
-------------	-----------------	------

Payable to Jharkhand State Pollution Control Board at Ranchi.

Place : CHANO INDUSTRIAL AREA, MUFFASIL, 825303

Date : 21/11/2022

(Signature of Applicant)

(with Official seal)

राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

रियाळा भवन, मेन रोड, रांची

162

पत्रांक 1645

दिनांक 4-12-06

प्रेषक राहुल कुमार पुरवार, भा.प्र.० में  
प्रबन्ध निदेशक।

सेवा में, सत्यवासी वासुदेव आटो लि०  
अग्रोफ आटो मोटर्स लि०  
मेन रोड, रांची

विषय :- दुजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र / प्रांगण में भूमि / छावनी / कमरा दुकान का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के आवंटन प्रस्ताव संख्या 1144 दिनांक 22/8/2006 तथा आपके सहमति पत्र दिनांक 12/10/2006 के

संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि दुजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र / प्रांगण में सर्वश्री वासुदेव आटो लि०

नामक इकाई जिसके आप स्वामी भागीदार / निदेशक / को-ऑपरेटिव / प्रा० लि० है को रिपेयरिंग शूट स्विस्स ऑफ टाटा स्टील जोर हिल्स स्थापना करने के लिए

रक रकड वर्गफुट / एकड़ / भूमि / छावनी / कमरा / दुकान / खण्ड / छावनी संख्या 30-34, 35 P. आवंटन की तिथि से 30 वर्ष के लिए पट्ट पर निम्नांकित शर्तों पर आवंटित किया जाता है। इन शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं होने पर आवंटन रद्द कर दिया जायेगा। इस संबंध में प्राधिकार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

1 भूमि / छावनी की सलामी

क) भूमि की सलामी 4,72,600/-  
रुपये प्रति एकड़ की तदर्थ दर से 4,72,600/- रुपये।

ख) छावनी की सलामी ..... रुपये।  
रुपये प्रति छावनी की दर से ..... रुपये।

2 भूमि / छावनी की सलामी का अन्तिम निर्धारण भूमि के विकास का वास्तविक खर्च मालूम होने पर भू-अर्जन की राशि में वृद्धि होने पर पुनर्विचार में लागत होने पर सरकार द्वारा भूमि के दाम संबंधी अन्य वस्तुओं पर नीति निर्धारण के फलस्वरूप के आधार पर किया जायेगा।

स्वयं सभ्य - सभ्य पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों पृ० उ०

वैक आलोच्य गें किये गये आंकड़ों

3 तदर्थ सलामी तथा अन्तिम रूप से निर्धारण कर में जो अन्तर होगा वह इकाई द्वारा होगा। जिसका भुगतान इकाई को प्राधिकार के सूचना प्राप्त होने के एक महीने अन्दर करना होगा और इकाई को इस आशय का एकरार पत्र भी लिख देना होगा।

4 आपके द्वारा उपर्युक्त तदर्थ सलामी के विरुद्ध दिनांक 12/10/06 से 3/11/06 को प्रारंभिक राशि 1,25,000/- से 3,47,600/- रुपये जमा की गयी है। शेष राशि \_\_\_\_\_ का भुगतान \_\_\_\_\_ वार्षिक किस्तों में दिया जाना है। प्रत्येक किस्त \_\_\_\_\_ रुपये \_\_\_\_\_ की होगी।

अगली किस्त का भुगतान 1-4-199 को देय होगा। इसके बाद शेष किस्तों का भुगतान अगले वर्ष को उसी तिथि को देय होगा।

5 क) निर्धारित समय में विधिवत किस्त भुगतान नहीं होने पर 15% या तत्कालीन बैंक सूद की दर से जो भी अधिक होगा, इकाई को सूद क रूप में देना होगा। बकाये की वसूली पब्लिक डिमांड के रूप में बिहार एण्ड उड़ीशा पब्लिक रिकोभरी एक्ट के अन्तर्गत की जा सकती है।

ख) लगातार दो किस्तों का भुगतान नहीं करने पर आवंटन रद्द कर दिया जायेगा एवं आवंटन के नवीकरण हेतु आपके आवेदन पर अध्यतन दरों पर ही किये जाने पर प्राधिकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

6 किस्तों पर भूमि लेने के लिए इकाई को लिखित रूप में एकरारनामा करना होगा। जबतक किस्तों का भुगतान इकाई द्वारा नहीं हो जायेगा, भूमि प्राधिकार के पास बंधक रहेगा।

7 क) भूमि के सलामी इत्यादि जिसका विवरण उपरोक्त में किया गया है उसके अतिरिक्त इकाई को प्रति वर्ष 3000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से अर्थात् 3000/- रुपये तीन हजार रुपये लगान के प्रत्येक 31 मार्च के पहले द्वेन रोड स्थित प्राधिकार कार्यालय में जमा करना होगा। चार वर्षों के बाद लगान दो गुणा हो जायेगा। प्रत्येक 20 वर्ष पर इस लगान का पुनर्विलोकन किया जा सकता है।

ख) उपर्युक्त लगान के अतिरिक्त रखा-रखाव व्यय 50/- [पचास रुपये] प्रति 1000 वर्गफुट प्रति वर्ष की दर से 2178/- रुपये प्रति वर्ष आवंटन की तिथि से दो वर्ष बाद या उत्पादन की तिथि से जो पहले हो भी देय होगा।

8 इकाई को नियोजन तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण में कारखाना के क्षेत्र को स्थानीय जनता को प्राथमिकता देनी होगी।

9 इकाई को भूमि का स्वामित्व लेने के लिये वित्तीय मशीनों एवं उपकरण तथा कच्चे मालों को संतोषजनक व्यवस्था पूर्ण विवरण प्रमाण के सहित प्राधिकार को समर्पित करना होगा।

10 आवंटनी आवंटन की तिथि से एक माह के भीतर बंध पत्र लिखकर भूमि का कब्जा ले लेगा।



- 11 भूमि के स्वामित्व के तीन माह के अन्तर्गत प्राधिकार से कारखाना के कर्मशाला के नक्शे का अनुमोदन करा लेना होगा। भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य बिना पूर्व अनुमोदन के अनियमित होगा।
- 12 आवंटित भू खण्ड का उपयोग स्वीकृत योजना के अनुरूप उद्योग स्थापना एवं चलाने के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यों में नहीं करना होगा।
- 13 आवंटन आदेश के निर्गत की तिथि से एक पखवारे के अन्दर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के संबंधित स्थानीय कार्यालय में "साईट विलियेरेंस" एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र [ एन० ओ० सी० ] हेतु पर्षद के विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र अवश्य जमा कर देना होगा एवम् वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना होगा।
- 14 भूमि स्वामित्व की तिथि से 6 महीने के अन्दर इकाई को उत्पादन कार्य प्रारंभ कर देना होगा। योजना के कार्यान्वयन करने की दिशा में ठोस प्रगति नहीं दिखाने पर भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।
- 15 आवंटन की तिथि से आवंटित भूमि एक वर्ष के अन्दर छावनी का पट्टा प्राधिकार से अनुमोदित कराकर लिखा देना होगा तथा इसका निबंधन भी समुचित पदाधिकारी के सम्मुख करना होगा, जिसका खर्च इकाई वहन करेगी। यह नहीं करने पर आवंटन रद्द कर दिया जा सकता है।
- 16 यदि इकाई कोई कम्पनी है तो उसका निबंधन कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत बिहार में करा लेना आवश्यक है। यदि भूमि आवंटन के समय निबंधन नहीं कराया गया तो इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से दो महीने के अन्दर निबंधन करा लेना आवश्यक है अन्यथा दो महीने की अवधि के बाद आवंटन रद्द किया जायगा।
- 17 इकाई का कन्स्टीच्यूशन जैसे साझेदारी, प्राईवेट कम्पनी आदि बदलने के पूर्व आवंटि को प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त करना होगा। अगर इकाई का आवंटन सत्वाधिकार के रूप में हुई तो उसे साझेदारी अथवा प्राईवेट लि० कम्पनी में परिवर्तित किया जा सकता है जिसके लिये इकाई को प्राधिकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना होगा।
- 18 आवंटि द्वारा आवंटन को सभी या एक भो शर्तों के उल्लंघन करने पर प्रबंध निदेशक, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को यह अधिकार होगा कि आवंटि को बिना कोई मुआवजा दिये हुए उनके द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति एवं चुकाये गये तदर्थ सलामी लगान आदि के किस्तों की राशि को जब्त कर नये आवंटियों के साथ आवंटन संबंधी औपचारिकतायें पूरी करें तथा कथित भूमि उन्हें आवंटित कर दी जाय तथा इस हालत में पहले का पट्टा यदि जमा किया गया हो तो समाप्त समझा जायेगा।
- 19 इस औद्योगिक क्षेत्र / प्रांण की भू-अर्जन के फलस्वरूप हुए विस्थापित व्यक्तियों को अपने औद्योगिक इकाई में प्राथमिकता के आधार पर आवंटि को नियोजन प्रदान करना होगा।
- 20 क) निश्चित अवधि के भीतर यदि उद्योग स्थापित करने के लिये आवश्यक प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की जाती है तो वैसी स्थिति में प्राधिकार आवंटित प्लॉट / शेड का आवंटन

रद्द कर देगा और इस संबंध में जमा की गई राशि को भी जब्त कर लेगा, आवंटन रद्द करने के पूर्व प्राधिकार आवंटनी को अपने पक्ष प्रस्तुत करने व लिये एक महीने का समय देगा। प्राधिकार के आदेश से असंतुष्ट होने पर आवंटनी राज्य सरकार के पास एक महीने के अन्दर अपील दायर कर सकेगा, जिसे राज्य सरकार अपील प्राप्त होने के दो महीने के अन्दर विचार कर निष्पादित कर देगी।

ख) प्लॉट / शेड का आवंटन रद्द किये जाने के पश्चात प्राधिकार उक्त प्लॉट / शेड का दखल-कब्जा ले लेगा।

21 आवंटित भूमि के आवासीय उपयोग आपके द्वारा नहीं किया जायेगा।

22 एकरारनामा तथा पट्टा के प्रारूप की प्रति अप्रसारित की जा रही है।

23 एकरारनामा के कार्यान्वयन के बाद ही आवंटित भूमि / खरबनी / कमरा / दुकान का प्रभार सौंपने का आदेश दिया जायेगा।

24. डुकान का नाम — स्वर्ण वासुदेव आटा लो

25. औद्योगिक क्षेत्र का नाम — इजारी बाजार

26. भूमि का रकबा / प्लॉट — 200 रुमर.

27. भूमि का कुल मूल्य — 30-34, 35 P.

28. किस्तों की संख्या — 4, 72, 600/-

29. लेजर संख्या — 23 @ 3,47,600/-

विश्वासभाजन

1.12.06

प्रबन्ध निदेशक  
MS

क्रमांक 1645

दिनांक 4-12-2006

प्रतिलिपि:—

1. क्षेत्रीय पदाधिकारी
2. प्रतिवेदन सहायक, रियाडा
3. ~~कम्प्यूटर सहायक, रियाडा~~
4. लेजर सहायक, रियाडा

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है।

प्रभारी पदाधिकारी